केन्द्रीय विद्यालय कं.1, कोटा (राज)

स्टेशन रोड, कोटा जक.

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस विद्यालय में परीक्षा विभाग की पुरानी उत्तर पुस्किाएं आदि को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से नीलाम किया जाना है । नीलामी "जहां है जैसा है " के आधार पर की जाएगी । नीलामी दिनांक 31.10.2022 को प्रातः 11.30 बजे से 12.30 बजे के मध्य की जाएगी । इच्छुक व्यक्ति/फर्म जोकि उक्त नीलामी में भाग लेना चाहते है निर्धारित तिथि एवं समय पर विद्यालय में आकर अपने पते के प्रमाण हेतु कोई एक सरकारी दस्तावेज जैसे मतदाता, पहचान पत्र/आधार कार्ड/पैनकार्ड आदि की प्रति एवं संस्थान/दुकान के लेटरहेड के साथ रुपए 2000/– मात्र की बयाना राशि/अर्नेस्ट मनी जमा करवानी होगी जोकि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी " केंद्रीय विद्यालय नं.1,कोटा वीवीएन अकाउन्ट " के पक्ष में देय, बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद द्वारा दी जाएगी।

अधिकतम बोली दाता को ही सामान बेचा जाएगा । आंशिक बोली स्वीकार नही होगी । विस्तृत जानकारी के लिए विद्यालय की वैबसाइट https://no1kota.kvs.ac.in **का अवलोकन कर सकते है ।**

27/10/22

प्राचार्य

0744–2440105

प्राचार्य / Principal
केन्द्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya
क्र. 1 कोटा / No. 1 Kota

केन्द्रीय विद्यालय नं. 1, कोटा
स्टेशन रोड, कोटा, (राजस्थान)-324002
दूरभाष-0744-2440105
ईमेल -kv1kota@gmail.com
वेबसाइट-www.no1kota.kvs.ac.in
के.मा.शि.बो. विद्यालय नं. 14166
के.मा.शि.बो. मान्यता सं. 1700016

तत त्वं पूषन अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
Azadi Ka Amrit Mahotsav

KENDRIYA VIDYALAYA NO.1, KOTA
Station Road, Kota, (Rajasthan)-324002
Phone: 0744-2440105
E-mail:kv1kota@gmail.com
Website:www.no1kota.kvs.ac.in
CBSE School No.14166
CBSEAffl.No.1700016

फा.30084/2022/के.वि.1कोटा/ दिनांक: 27-10-2022

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय क्र.1, कोटा में परीक्षा विभाग से संबंधित पुराने उत्तर पुस्तिकाएं (रद्दी) जो कि अनुपयोगी घोषित की गई है , की नीलामी दिनांक 31.10.2022 को प्रातः 11.30 से 12.30 बजे के मध्य की जानी है । अतः इच्छुक व्यक्ति / **फर्म दी गई** दिनांक व समय पर उपस्थित होकर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं । बोली में भाग लेने से पूर्व रू. 2000/– नकद अथवा डीडी बायाना राशि के रूप में जमा करवानी होगी । साथ ही बोली में भाग लेने से पूर्व एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि "केन्द्रीय विद्यालय क्र.1, कोटा में उनका कोई भी सगा संबंधी कार्यरत नहीं है।"

सफल बोलीदाताओं को कार्यालय में बोली राशि तुरन्त जमा करनी होगी और विद्यालय परिसर से निस्तारित सामग्री को अपनी लागत पर तुरन्त अथवा 24 घन्टे के अन्दर हटाना होगा । केन्द्रीय विद्यालय संगठन के किसी भी कर्मचारी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को इस नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी ।

नीलामी हेतु नियम व शर्ते

1. दिनां 31.10.2022 को प्रातः 11.30 बजे से 12.30 बजे के मध्य सार्वजनिक नीलामी की जाएगी ।
2. नीलामी में भाग लेने से पहले रुपए 2000/– मात्र की बयाना राशि/अर्नेस्ट मनी जमा करवानी होगी जोकि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी " केंद्रीय विद्यालय नं.1,कोटा वीवीएन अकाउन्ट " के पक्ष में देय, बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद द्वारा दी जाएगी।
3. सबसे अधिक बोली लगाने वाले को सामान बेचे जाएंगे। आंशिक बोली किसी मामले में स्वीकार्य नहीं होगी।
4. सफल बोलीदाता को पूर्ण भुगतान 24 घन्टे के भीतर करना है जोकि केंद्रीय विद्यालय नं.1, कोटा, वीवीएन अकाउन्ट के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट अथवा नकद के रूप में होगा। ऐसा न होने पर बोली रद्द कर दी जाएगी और बयाना राशि जब्त हो जाएगी शेष बोली दाताओं की ब्याना राशि बोली समाप्त होने के बाद लौटा दी जाएगी।
5. इस विभाग द्वारा बोलीदाता को एक बार दिया गया कोई भी सामान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लिया जाएगा।
6. सफल बोलीदाता से अपेक्षित होगा की बोली राशि के भुगतान के बाद 24 घेटे के भीतर बोली में प्राप्त किए गए सामानों को उठवाना होगा। ऐसा ना करने पर विभाग के पास उनकी संपूर्ण राशि

जब्त करने का अधिकार होगा तथा सामान अन्य बोलीदाता को दे दिया जाएगा । सफल बोलीदाता को सामानों को उठाने के लिए वाहन,मजदूर इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

7. बोली राशि अंकों और शब्दों दोनो में दी जानी चाहिए। अंकों में किसी भी प्रकार की दोबारा लिखावट अथवा मिटाने इत्यादि पर दी गई दरों की स्वीकृति के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा।

8. बोलीदाता को बोली में भाग लेने के लिए पते के प्रमाण (मतदाता पहचानपत्र / आधार कार्ड) और पैनकार्ड की प्रति एवं संस्थान / दुकान का लेटरहेड अवश्य लाना होगा ।

9. बयाना राशि का डीडी अथवा नकद राशि बोली में भाग लेने के समय अवश्य साथ में लाये अन्यथा प्रारंभिक स्थिति में ही बोली रद्द कर दी जाएगी।

10. विद्यालय समिति एवं प्राचार्य,केन्द्रीय विद्यालय क्.1, कोटा को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए उपरोक्त सार्वजनिक नीलामी को रदद किया जा सकता है ।

11. इस संबंध में पार्टियों और बोलीदाताओं के किसी भी विवाद के लिए प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय नं.1, कोटा का निर्णय अंतिम होगा ।

प्राचार्य

प्राचार्य / Principal
केन्द्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya
क्र. 1 कोटा / No. 1 Kota